



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 -- अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

संख्या : 810-पै०एवंआर०-28/पाकालि/16-10(2)पै०एवंआर०/01-टी०सी०-1, दिनांक : 30 अगस्त, 2016

प्रबन्ध निदेशक,

पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि०, वाराणसी,
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ,
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ,
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, आगरा,
केस्को, कानपुर।

मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/
मुख्य अभियन्ता (जानपद-वितरण/पारेषण),
मुख्य महाप्रबन्धक(लेखा प्रशा०),
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०,
शक्ति भवन,
लखनऊ।

अध्यक्ष,

विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र०पा०का०लि०,
एस०एल०डी०सी० परिसर,
विभुतिखण्ड, फेज-2, गोमतीनगर,
लखनऊ।

विषय : उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2016 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश शासन के विधायी अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-584/79-वि-1-16-1(का०)9-2016 दिनांक 07 अप्रैल 2016 की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 को संशोधित करके उसकी धारा-3 की उपधारा (5) को निकाल दिया गया है।

अतः कृपया शारीरिक रूप से विकलांगजनों हेतु आरक्षण प्रदान करने के सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(उमेश गुप्त)

संयुक्त सचिव(अरा०)

संख्या : 810 -पै०एवंआर०-28/पाकालि/16 तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/ उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० तथा उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
3. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

क्रमशः...2..

4. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-। एवं स्तर-।।), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
5. समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
6. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
7. समस्त उपमहाप्रबन्धक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
- ✓ 8. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० की वेबसाईट www.uppel.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(उमेश गुप्त)

संयुक्त सचिव(अरा०)



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 7 अप्रैल, 2016

चैत्र 18, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

(विधायी अनुभाग-1)

संख्या 584/79-वि-1-16-1(क)9-2016

लखनऊ, 7 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

“भारत के संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016, पर दिनांक 6 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2016

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 2016)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सड़त्तठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2016 कल जायेगा।

संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1993 की धारा 3 का संशोधन 2- उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993, की धारा 3 में, उपधारा (5) निकाल दी जायेगी।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन् 1993) का अधिनियमन शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में पदों के आरक्षण की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (5) में यह उपबंध किया गया है कि जहाँ उपधारा (1) के अधीन आरक्षित रिक्तियों में से कोई रिक्ति उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरी रह जाती है, तो उसे आगामी दो चयन वर्षों के लिए अग्रणीत किया जायेगा, उसके पश्चात वह रिक्ति व्यपगत समझी जायेगी।

उक्त उपबन्ध को माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 49778/2015, आलोक कुमार सिंह तथा अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य के माध्यम से यह अभिकथित करते हुए चुनौती दी गयी है कि यह अतःवैधानिक है। उक्त रिट याचिका में निवेदित राहत को दृष्टिगत रखते हुए यह विनिश्चय किया गया है कि पूर्वोक्त अधिनियम को संशोधित करके उसकी धारा 3 की उपधारा (5) को निकाल दिया जाय।

तदनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
VIDHAYA ANUBHAG-1

No. 584(2)/79-V-1-16-1(ka)9-2016
Dated Lucknow, April 7, 2016

NOTIFICATION MISCELLANEOUS

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Seva (Sharirik Roop se Viklang, Swatantrata Sangram Senaniyon ke Ashrit aur Bhootpoorva Sainikon ke liye Arakshan) (Sanshodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 12 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on April 6, 2016.

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (RESERVATION FOR PHYSICALLY HANDICAPPED, DEPENDENTS OF FREEDOM FIGHTERS AND EX-SERVICEMEN) (AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act no. 12 of 2016)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Act, 2016. Short title

2. In section 3 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993, sub-section (5) shall be *omitted*. Amendment of section 3 of U.P. Act no. 4 of 1993

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 (U.P. Act no. 4 of 1993) has been enacted to provide for the reservation of post in favour of physically handicapped, dependants of freedom fighters and ex-servicemen. In sub-section (5) of section 3 of the said Act, it is provided that where, due to non-availability of suitable candidates, any of the vacancies reserved under sub-section (1) remains unfilled, it shall be carried forward for further two selection years, whereafter it may be treated to be lapsed.

The said provision has been challenged before the Hon'ble High Court, Allahabad through writ petition No. 49778/2015, Alok Kumar Singh and Others Vs State of U.P. and Others alleging it unconstitutional. Keeping in view of the relief prayed in the said writ petition it has been decided to amend the aforesaid Act to *omit* sub-section (5) of section 3 thereof.

The Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
ABDUL SHAHID,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 32 राजपत्र (हि०)-2016-(50)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1 सा० विधायी-2016-(51)-300 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/आफसेट)।